

कृषि विज्ञान केन्द्र, बीकानेर-II (लूनकरनसर)

(एटीसी परिसर, राष्ट्रीय राजमार्ग-62 श्रीगंगानगर रोड़)

प्रसार शिक्षा निदेशालय,

स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर

क्रमांक: एफ / कृविके- लूनकरनसर/2021/127

दिनांक: 24-09-2022

केन्द्र पर समय समय पर आयोजित कृषक प्रशिक्षणों के दौरान प्रशिक्षार्थियों के लिये खाना चाय व नाश्ता आपूर्ति हेतु निविदा ।


कृषि विज्ञान केन्द्र, बीकानेर-II (लूनकरनसर) पर समय समय पर आयोजित कृषक प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षार्थियों के लिये खाना चाय नाश्ता आपूर्ति हेतु संबंधित फर्मों से निर्धारित प्रपत्र में निविदाये आमंत्रित कि जाती है ।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में समय समय पर आयोजित कृषक प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षार्थियों के लिये खाना चाय नाश्ता आपूर्ति हेतु ।

1.	निविदा फार्म की दर व प्रकृति	रु. 500/- डी.डी. अथवा बैंकर्स चैक
2.	निविदा संदर्भ	समय समय पर आयोजित कृषक प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षार्थियों के लिये खाना चाय नाश्ता आपूर्ति हेतु ।
3.	निविदा प्रपत्र संलग्न	निविदा प्रपत्र-क और ख
4.	अनुमानित लागत	रु. 4.50 लाख
5.	निविदा प्राप्त करने का दिनांक व समय	24.09.2022 से 10.10.2022 सांय 5.00 बजे तक
6.	निविदा प्रपत्र कार्यालय में जमा कराने की अन्तिम तिथि	11.10.2022 अपरान्ह 11.00 बजे तक
7.	निविदा खोलने की तिथि व समय	11.10.2022 अपरान्ह 11.30 बजे
8.	निविदा खोलने का स्थान	कृषि विज्ञान केन्द्र, बीकानेर-II (लूनकरनसर)
9.	कार्य की अनुमानित अवधि	अक्टूबर 2022 से सितम्बर 2023

निविदा फार्म शुल्क रु 500/- व धरोहर राशि रु 9000/- का डी.डी. अथवा बैंकर्स चैक वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, बीकानेर-II (लूनकरनसर) के नाम पर देय होंगे। धरोहर राशि फार्म के साथ कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में 11.10.2022 तक अपरान्ह 11.00 बजे तक कार्यालय समय में जमा करवायी जा सकती हैं। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेबसाइट www.sppp.rajasthan.gov.in, <http://bikaner2.kvk2.in/> एवं www.raubikaner.org पर देखा जा सकता है।

NIB Code- SKA2223A0046
UBN - SKA2223SS0B00048


वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं Head
Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra
Lunkaransar, Bikaner-II

कृषि विज्ञान केन्द्र, बीकानेर॥ (लूनकरनसर)

स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर

निविदा फार्म

- 1- निविदादाता का नाम एवं पूरा पता:-
- 2- फर्म एकल/भागीदारी:-
- 3- भागीदारों का नाम:-
- 4- नाम जो लेन देन करेगा मय अधिकार पत्र की प्रति:-
- 5- बैंक जिसके माध्यम से लेन देन करते हैं:-
- 6- धरोहर राशि का विवरण:-
- 7- दरें नीचे दर्शाई गई तालिका में देनी हैं।

सामग्री/मात्रा	उपलब्ध राशि (अधिकतम)	निविदादाता द्वारा देय दर
चाय 150 मि.ली.	रु0 10/-	
कॉफी 150 मि.ली	रु0 15/-	
कोल्ड ड्रिंक (150 मि.ली)	रु0 15/-	
नास्ता: ब्रेड पकोड़ा/ आलू कोफ्ता / कचोरी/ समोसा - मात्रा 01 पीस	रु0 15/-	
नास्ता: पोहा - मात्रा 200 ग्राम	रु0 20/-	
नास्ता: मिठाई. 01 पीस. मौसमी फल. 1 पीस. कचोरी/ समोसा मात्रा 01 पीस	रु0 30/-	
खाना (एक समय) चपाती/पूड़ी मौसमी सब्जी/दाल	रु0 80/-	
खाना (एक समय) चपाती/पूड़ी. दाल मौसमी सब्जी चावल सलाद रायता मिठाई 50 ग्राम, आचार	रु0 120/-	
खाना (एक समय) चपाती दाल मौसमी सब्जी चावल सलाद रायता हलवा देशी घी में/आइसक्रीम, आचार (आवश्यकतानुसार)	रु0 150/-	
खाना (एक समय) पापड़ चपाती दाल मौसमी सब्जी पनीर सब्जी पुलाव सलाद रायता हलवा देशी घी में/आइसक्रीम, आचार (आवश्यकतानुसार)	रु0 200/-	

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं फर्म की मोहर

निविदा की शर्तें (ख) :-

1. निविदा निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जायेगी। धरोहर राशि (वर्ष भर की अनुमानित खर्च राशी रूपये 2 लाख का 2 प्रतिशत) रूपये 9000/- व निविदा प्रपत्र शुल्क 500/- रू0 अग्रिम निविदा प्रपत्र के साथ जमा करानी होगी जो बैकर्स चैक या डी.डी. के माध्यम से ही जमा होगी तथा जिस व्यक्ति/फर्म की दरें अनुमोदित होगी उसकी धरोहर राशि को बतोर अमानत राशि के रूप में कार्यालय में जमा रखी जायेगी जो कार्य अवधि समाप्त होने पर तथा नो ड्यूज प्रसतुत करने पर बिना ब्याज के वापस लौटा दी जावेगी।

2^o निविदादाता को निम्न दस्तावेज संलग्न करने होंगे:

(क) रूपये 100/- नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र देना होगा कि निविदादाता/फर्म/ एजेंसी किसी भी रूप में ब्लैक लिस्टेड नहीं है तथा गत वित्तीय वर्षों में किसी प्रकार का कोई टैक्स बकाया नहीं है।

(ख) निविदादाता/फर्म/ एजेंसी का पैन कार्ड ए जी इस टी नंबर की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि।

(ग) खाना आपूर्ति के लिए अधिकृत संस्था द्वारा लाइसेंस की प्रति संलग्न करनी होगी।

3. किसी प्रकार की काउण्टर कण्डीशन मान्य नहीं होगी।

4 धरोहर राशि के बिना निविदा प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा असफल निविदादाता की धरोहर राशी कार्यालय द्वारा 7 दिवस में चैक द्वारा वापस लौटा दी जावेगी।

5 निविदा में दी गई दरों में काट छांट नहीं होनी चाहिए। काट छांट होने पर उस पर निविदादाता के हस्ताक्षर होना आवश्यक है अन्यथा निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

6 मैस एवं डायनिंग हॉल की सफाई की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

7 अनाधिकृत व्यक्ति का किसान घर में प्रवेश वर्जित रहेगा।

8 खाना, नाश्ता, चाय व अन्य खाद्य पदार्थों की व्यवस्था निविदादाता को अपने स्तर पर करनी होगी।

9 मैस की जगह एवं डायनिंग हॉल के फर्नीचर (किसान घर में उपलब्धता के आधार पर) के अलावा कोई सामान देय नहीं होगा।

10 बर्तन, गैस, फ्रीज, क्रोकरी व अन्य आवश्यक सामान की व्यवस्था निविदादाता को अपने स्तर पर करनी होगी।

11 कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा गठित कमेटी/प्रभारी अधिकारी, समय-समय पर निविदा संबंधी शर्तों एवं खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच कर सकेंगे।

12 मैस में स्वस्थ रसोइये ही स्वीकार्य होंगे। मैस में कार्यरत समस्त कर्मचारियों के नैतिक चरित्र की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

13 मैस कर्मचारियों के व्यवहार संबंधी समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

14 निविदादाता के कर्मचारियों द्वारा किसान घर एवं केन्द्र की सम्पत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा, नुकसान होने पर भरपाई निविदादाता को करनी होगी।

15 किसान घर द्वारा प्रदत्त सामान की टूट-फूट की मरम्मत निविदादाता को करवानी होगी।

16 सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अनुबंध निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा तथा धरोहर राशि जब्त करली जायेगी।

17 समय पूर्व अनुबंध तोड़ने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी तथा फर्म को काली सूचि में डाल दिया जायेगा।

18 निविदादाता द्वारा काम में ली गई समस्त सामग्री की समस्त जिम्मेदारी स्वयं की होगी।

- 19 विवाद होने पर न्याय क्षेत्र लूनकरनसर न्यायालय होगा।
- 20 निविदादाता को अपने कर्मचारियों को पहचान पत्र उपलब्ध करवाना होगा जो प्रभारी अधिकारी या किसान घर के अन्य कर्मचारी द्वारा मांगने पर दिखाना होगा।
- 21 समस्त खाद्य एवं पेय पदार्थों के बनाने में उतम क्वालिटी का सामान ही काम में लेना होगा तथा खाना शुद्ध एवं ताजा देना होगा। किसी भी प्रकार की अशुद्धि, विषाक्तता अथवा मिलावट पायी जाने पर उचित कार्यवाही की जाएगी।
- 22 ठेका 30 सितम्बर 2023 तक के लिए मान्य होगा।
- 23 कार्य करते समय किसी प्रकार के नुकसान एवं दुर्घटना की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
- 24 निविदादाता एवं उनके कर्मचारियों को किसान घर के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।
- 25 प्रभारी अधिकारी, किसान घर द्वारा मैस /रसोई के बारे में जानकारी मांगने पर तुरन्त उपलब्ध करवानी होगी।
- 26 अनुबंध खत्म होने पर कृषि विज्ञान केन्द्र से "नो ड्यूज" लेना होगा।
- 27 चाय जितने समय बताया जायेगा उतने समय प्रशिक्षणार्थियों को देनी होगी।
- 28 प्रशिक्षण में शाम के भोजन में जितने प्रशिक्षणार्थी ठहरेंगे उसी संख्या में खाना देना होगा व ठहरने की संख्या का ही भुगतान किया जावेगा।
- 29 रात्री में ठहरने वाले प्रशिक्षणार्थियों की संख्या की जानकारी निविदादाता को प्रशिक्षण दिवस को दोपहर 3.00 बजे दे दी जावेगी।
- 30 निविदादाता केवल मांगी गई सामग्री के लिए ही अपनी निविदा राशि भरकर दें। अन्य सामग्री के लिए निविदा प्रस्तुत नहीं करें।
- 31 दोपहर व शाम की सब्जी व दाल अलग-अलग होगी।
- 32 खाना व चाय आदि में प्रयोग में लिए जाने वाले बर्तन व कप प्लास्टिक के नहीं होने चाहिए।
- 33 खाना आपूर्ति के लिए अधिकृत संस्था द्वारा देय लाईसेंस की प्रति संलग्न करनी होगी।
- 34 प्रशिक्षण 1, 2, 3 एवं 5-6 दिवसीय आयोजित किये जा सकते हैं।
- 35 प्रशिक्षण के दौरान उपलब्ध बजट के अनुसार ही आपको कार्य आदेश दिये जायेंगे।
- 36 किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत /स्थगित /निरस्त करने का अधिकार कार्यक्रम समन्वयक केविके लूनकरनसर के पास सुरक्षित रहेगा।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैंने/ हमने पूर्ण सावधानी पूर्वक उपरोक्त सभी शर्त अच्छी तरह से पढ ली है तथा स्वीकार्य है।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं फर्म की मोहर

Senior Scientist & Head
कार्यक्रम समन्वयक
Vigyan Kendra
Bikaner-II